कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3-1689/ 14-8(1)　　　　　　　　　　　दिनांक　देहरादून, 05/3/ 2009

4095
4512
7-3-09

सेवा में,

1. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषयः **इको–टूरिज्म गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु निर्देश।**

महोदय,

1. राज्य में इको–टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यटकों के लिये वन विश्राम भवनों में ठहरने की दरें पूर्व से निर्धारित है परन्तु लॉग हट्स/बैम्बू हट्स, टैन्टों आदि में ठहरने की दरें निश्चित न होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिए लॉग हट्स/बैम्बू हट्स, टैन्टों आदि में ठहरने की दरें वर्ष 2009–10 में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं जो संरक्षित क्षेत्रों को छोड़ते हुए अन्य वन क्षेत्रों पर लागू होगीं :–

वन क्षेत्रों में रात्रि विश्राम की दरें

क्रमांक	विवरण	भारतीय	विदेशी
1	**विभागीय टैन्ट (प्रति टैन्ट प्रतिदिन)**		
	अ– छोटा टैन्ट (दो व्यक्ति)	200.00	400.00
	ब– मध्यम टैन्ट (चार व्यक्ति)	300.00	600.00
	स– बड़ा टैन्ट (चार से अधिक व्यक्ति)	500.00	1000.00
2	**पर्यटकों के अपने टैन्ट (प्रति टैन्ट प्रतिदिन)**		
	अ– छोटा टैन्ट	50.00	100.00
	ब– अन्य	100.00	200.00
	स– किचन टैन्ट	100.00	200.00
	द– टैन्ट पिचिंग (आवश्यकतानुसार)	50.00	100.00
3	**लॉग/बैम्बू हट (प्रति कक्ष)**	300.00	600.00
4	**लॉग हट (वातानुकूलित)**	500.00	1000.00
5	**बैरक (प्रति कक्ष)**	200.00	400.00

2. स्थानीय समुदायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं यथा भोजन, हाउस कीपिंग, कैम्पिंग साईट पर सामान उठाना, नेचर गाइड एवं शौचालय की सफाई व्यवस्था आदि की दरें कुमाँऊ क्षेत्र के नैनीताल एवं रानीखेत सर्किट को छोड़कर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

स्थानीय समुदायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की दरें

क्रमांक	विवरण	दर
1	भोजन (ब्रेक फास्ट/लंच/डिनर), हाउस कीपिंग, विश्राम स्थल पर सामान उठाना, नेचर गाईड एवं शौचालय सफाई सहित (प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन)	400.00
2	दैनिक भोजन व्यवस्था (दैनिक पर्यटक) चाय, नाश्ता/ लंच चाय/काफी, दूध	 40.00/80.00 8.00/15.00

3. कुमाँऊ क्षेत्र के नैनीताल एवं रानीखेत सर्किट में स्थानीय समुदाय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

स्थानीय समुदायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की दरें

क्रमांक	विवरण	दर
	नैनीताल तथा रानीखेत सर्किट :–	
1	भोजन (ब्रेक–फास्ट / लंन्च / डिनर) हाउस कीपिंग, कैम्पिंग साईट पर सामान उठाना, नेचर गाईड एवं शौचालय सफाई सहित (प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन)	600.00
2	दैनिक भोजन व्यवस्था (दैनिक पर्यटक) चाय, नाश्ता / लंच चाय / काफी, दूध	 50.00 / 100.00 8.00 / 15.00

4. रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटकों के लिए आस–पास के नेचर–ट्रेल / गंतव्य स्थल, वन क्षेत्र आदि में भ्रमण की दरें उपरोक्त दरों में सम्मिलित हैं तथा पृथक से कोई शुल्क नही लिया जायेगा। परन्तु दैनिक पर्यटकों से नेचर–ट्रेल / गंतव्य स्थलों आदि में भ्रमण करने पर पूर्व की भॉति शुल्क लिया जाता रहेगा।

5. इको–टूरिज्म गतिविधियों के संचालन में होटल / टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशनों से वार्ता कर मार्केटिंग करने का प्रयास किया जाय तथा वन विश्राम भवनों, लॉग हट्स / बैम्बू हट्स, टैन्ट आदि की बुकिंग उपलब्धता होने पर उनके माध्यम से भी की जाय परन्तु इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पर्यटकों के लिए एक बार बुकिंग होने पर किसी अपरिहार्य स्थिति के अतिरिक्त उसे निरस्त न किया जाय।

6. इको–टूरिज्म गतिविधियों के संचालन हेतु चिन्हित किये गये स्थलों की सूची तथा उनके पर्यावरणीय आकर्षण संलग्न है। तद्नुसार ब्रोशर तैयार किये जाय तथा सूचना की आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रचार–प्रसार किया जाय।

7. प्रत्येक इको पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के लिए सामान्य निर्देशों की उद्घोषणा हिन्दी तथा अंग्रेजी में आवश्यक रूप से की जाय। इसके अतिरिक्त स्थान–स्थान पर भी इस प्रकार के निर्देशों का प्रचार किया जाय।

8. जिन प्रभागों में सूची में चिन्हित स्थल पड़ते है उन प्रभागों में कम से कम एक उपराजिक तथा एक वन दरोगा / वन रक्षक की तैनाती इको–टूरिज्म गतिविधियों में ही निश्चित कर दी जाय।

9. इको–टूरिज्म गतिविधियों के संचालन में इच्छुक व्यक्तियों की समिति बनाकर स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय। समिति के कोष का रख–रखाव समिति तथा इको–टूरिज्म गतिविधियों में तैनात किये गये किसी एक वनकर्मी के सह–हस्ताक्षर युक्त किया जाय।

10. स्थानीय समुदायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए चयनित सदस्यों की समिति गठित कर ली जाय तथा उन सदस्यों को विभागीय रूप से प्रशिक्षण दिलाने के साथ–साथ स्थानीय होटल / टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशनों के माध्यम से भी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास किया जाय।

11. स्थानीय समुदायों को प्राप्त होने वाली आय से 20 प्रतिशत धनराशि को सामुदायिक कोष के रूप में प्रयोग किया जायेगा जिसे दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों के संचालन में तथा सामुदायिक कार्यो में खर्च किया जायेगा शेष धनराशि से सेवायें देने वाले स्थानीय समुदाय के सदस्यों को आय उपलब्ध करायी जायेगी।

12. ईको–टूरिज्म गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन, अनुश्रवण एवं सेवाओं की गुणवत्ता बनाये रखने का दायित्व स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून

rate